

96



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.

अर्ज 9249-PBE-16

प्रकरण क्र. /पी.वी.आर./2016/

क्र. 09/11/16

9-11-16

493
9.11.16

सादिक अली (फोट) वारिसान

1. साबिर अली खान
2. आसिफ अली खान
3. जावेद अली खान
4. फारूख अली खान
5. शाकिर अली खान
6. शर्मिला अली
7. सकीना खान

समस्त पुत्रगण एवं पुत्रीगण स्व. श्री सादिक अली खां निवासीगण हकीमत अनवर खां साहब की बगिया, चीनी कारखाने के सामने आमखो रोडव कम्पू लश्कर ग्वालियर हाल रामाजी का पुरा कटीघाटी ए.बी. रोड लश्कर ग्वालियर
.....आवेदकगण

विरुद्ध

1. मो. सुलेमान खां पुत्र स्व. श्री मो. याकूब खान निवासी-न्यू दुर्गा कॉलोनी गुना
2. एम.पी. एज्यूकेशन सोसायटी जयें सचिव भरत झंवर पुत्र दामोदरदास झंवर निवासी-सराफा बाजार ग्वालियर
3. मुन्नी बेगम पत्नी मो. जब्बार खां निवासी हकीम जी की बगिया आमखो लश्कर ग्वालियर (फॉर्मल रेस्पॉन्डेन्ट)
4. साबिर अली खां पुत्र सादिक अली खान निवासी-रामाजी का पुरा ए.बी. रोड लश्कर ग्वालियर

.....अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र वास्ते निगरानी प्रकरण को पुनः नंबर पर लिए जाने बाबत ।

श्रीमान जी,

आवेदकगणों का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार श्रीमान जी की सेवा में प्रस्तुत है :-

1. यहकि, आवेदकगणों का निगरानी प्रकरण श्रीमान जी के न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 03.11.2016 को नियत था जिसका निगरानी प्रकरण क्र. 2078-पी.वी.आर./2011/निगरानी है ।

क्रमशः...

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

9249

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रेस्टोरेशन

-पीबीआर/2016

जिला ग्वालियर

रमान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषक
अलि के हस्ताक्षर

15-12-16

आवेदक की ओर से श्री पी०एन०शर्मा अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 2 की ओर से श्री विवेक श्रीवास्तव अभिभाषक उपस्थित । तर्क सुने गये आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 3-11-16 को प्रकरण कॉज लिस्ट में दर्ज नहीं था, इस कारण न्यायालय में उपस्थित होने के बावजूद भी भाग नहीं ले सके । अनावेदक क्रमांक 2 के अभिभाषक द्वारा विरोध में कहा गया कि आवेदक के अभिभाषक द्वारा पेशी नोट की गई है इसलिये कॉजलिस्ट में प्रकरण दर्ज नहीं होने का आधार आवेदक के अभिभाषक नहीं ले सकते हैं और न ही इसका लाभ उन्हें प्राप्त हो सकता है । आवेदक के अभिभाषक द्वारा समयावधि में आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण अनुपस्थिति का कारण मान्य करते हुये मूल प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से यह प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

अध्यक्ष